

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर (छ0ग0)

विविध आदेश

क्रमांक 45/एक-11-1/2006

कांकेर, दिनांक 26.09.2022

मैं योगेश पारीक जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1956 की धारा 15, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 194 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवहार जिला एवं सत्र खण्ड कांकेर में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन आदेश प्रसारित करता हूँ जो दिनांक 26 सितंबर 2022 से प्रभावशील होगी :-

क्र	न्यायालय का नाम	कार्यक्षेत्र	प्रकरणों के प्रकार
1	2	3	4
1	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर छ0ग0	सत्र खण्ड उत्तर बस्तर कांकेर एवं व्यवहार जिला उत्तर बस्तर कांकेर के राजस्व तहसील कांकेर, चारामा एवं नरहरपुर तहसीलों से उत्पन्न प्रकरण। (भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ एवं पंखाजूर की सभी तहसील के अंतर्गत आने वाले मामले, जिनके विचारण की क्षेत्राधिकारिता अपर जिला न्यायाधीश भानुप्रतापपुर को है, को छोड़कर)	01-सभी सत्र प्रकरण। 02-इस न्यायिक जिला में पदस्थ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी द्वारा पारित निर्णय से उद्भूत सभी दाण्डिक अपीलें। 03-दाण्डिक पुनरीक्षण। 04-अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष प्रकरण एवं उससे संबंधित जमानत आवेदन। 05-विद्युत अधिनियम- 2003 (2003 की एक्ट 36) संशोधित विद्युत अधिनियम 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष प्रकरण एवं उससे संबंधित जमानत आवेदन। 06-प्रकरणों के स्थानांतरण आवेदन पत्र। 07-जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 एवं 439 द0प्र0सं0। 08-दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 199(2) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 09-दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 341 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 10-संपूर्ण उ.ब.कांकेर जिला एवं तहसील से संबंधित मध्यस्थता निपटारा अधिनियम 1996 (आर्बिटेशन एवं कांसिलेशन एक्ट 1996) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले दावा आवेदन पत्र व निष्पादन।

		<p>11- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 उत्तर बस्तर कांकेर के आर्थिक क्षेत्राधिकार के अधीन पारित निर्णय , डिक्री एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपीलें।</p> <p>12-लोकल एवं स्पेशल एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले दीवानी एवं विविध अपीलें।</p> <p>13-भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण।</p> <p>14-म.प्र./छ0ग0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 20 के अंतर्गत चुनाव याचिकाएं।</p> <p>15-व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अंतर्गत 20,00,000/- रुपये से अधिक के व्यवहार वाद।</p> <p>16-अन्य विशेष एवं लोकल एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले व्यवहार वाद।</p> <p>17-मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 163ए,166 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत दावा प्रकरण।</p> <p>18-भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (भाग-10) के अंतर्गत संस्थापित होने वाले प्रकरणों को छोड़कर शेष सभी प्रकरण।</p> <p>19-व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र।</p> <p>20-सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत वाद मूल्य 10,00,000/- से अधिक प्रकरण।</p> <p>21-मानव अधिकारों के उलंघन से संबंधित प्रकरण।</p> <p>22- विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (47 of 1963) एवं विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम 2018, से संबंधित प्रकरण।</p> <p>23-ऐसे मामलें जिनका उल्लेख कार्यविभाजन में न हो।</p> <p>24-न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय के अनुपस्थिति/अनुपलब्धता की स्थिति में आवश्यक कार्यों का निराकरण करना।</p>
--	--	--

2	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर	राजस्व जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कांकेर, चारामा एवं नरहरपुर तहसीलों से उत्पन्न प्रकरण।	<p>01—सत्र न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा समय-समय पर निराकरण हेतु अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, दांडिक अपीलें, पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>02—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष प्रकरण।</p> <p>03—महिलाओं के विरुद्ध होने वाले यौन अपराधों एवं अन्य अपराध से संबंधित प्रकरण (एस0सी0/एस0टी0 से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>04— लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>05—एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरण।</p> <p>06—एन.आई.ए., एक्ट के अंतर्गत विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरण।</p> <p>07—वाद मूल्य 10,00,001/- से 20,00,000/- तक के सांपत्तिक वाद अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले दावा व आवेदन पत्र (विधि तथा विधायी कार्य विभाग मंत्रालय रायपुर के नोटिफिकेशन एफ.एन. 2265/906/21-ब/सी.जी. 13 दिनांक 21.03.2013 के अनुसार परिवार न्यायालय उत्तर बस्तर कांकेर के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)</p> <p>08—जिला न्यायाधीश कांकेर द्वारा समय-समय पर निराकरण हेतु अंतरित व्यवहार वाद, व्यवहार अपीलें, विविध अपीलें एवं विविध प्रकरण।</p> <p>09— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 उत्तर बस्तर कांकेर के आर्थिक क्षेत्राधिकार के अधीन पारित निर्णय, डिक्री एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपीलें।</p> <p>10—मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण जो दावाधिकरण कांकेर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जायेंगे तथा उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध न्यायिक प्रकरण।</p>
---	---	---	---

			<p>11- द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा पूर्व में पारित किये गये किसी सिविल या दाण्डिक प्रकरण के आदेश या निर्णय से संबंधित कार्य का क्रियान्वयन।</p> <p>12- इस न्यायिक जिले के अंतर्गत संस्थापित किशोर न्याय बोर्ड द्वारा निराकृत आपराधिक प्रकरणों के विरुद्ध प्रस्तुत समस्त आपराधिक अपील विधिवत् जमानत आवेदन के विरुद्ध अपील।</p>
3	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर (रिक्त न्यायालय)	-	-
4	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (एफ0टी0सी0) कांकेर	-	-
5	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भानुप्रतापपुर	राजस्व जिला उत्तर बस्तर कांकेर सत्र खण्ड भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ एवं पखांजूर की सभी तहसीलें।	<p>01-सत्र प्रकरण।</p> <p>02-दाण्डिक अपीलें।(न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी भानुप्रतापपुर एवं पखांजूर द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश के विरुद्ध उत्पन्न प्रकरण।)</p> <p>03-दाण्डिक पुनरीक्षण। (न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी भानुप्रतापपुर एवं पखांजूर द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश के विरुद्ध उत्पन्न प्रकरण।)</p> <p>04- लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>05-जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत 438 एवं 439 दं0प्र0स0।</p> <p>06-दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 199(2) के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें।</p> <p>07-दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 341 के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें।</p> <p>08-वाद मूल्य 10,00,001/- से 20,00,000/-तक के सांपत्तिक वाद।</p>

		<p>9-हिन्दू विवाह अधिनियम एवं सरक्षण एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वाद (परिवार न्यायालय उत्तर बस्तर कांकेर क्षेत्राधिकार को छोड़कर)</p> <p>10-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भानुप्रतापपुर एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 पखांजूर के आर्थिक क्षेत्राधिकार के अधीन पारित निर्णय, डिक्री एवं आदेश के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीलें एवं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अधीन अपील प्रकरण सहित।</p> <p>11-मूल्य रूपये 501/- से अधिक तक के लघुवाद, निष्पादन एवं विविध न्यायिक प्रकरण जो सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत निराकरण हेतु अधिकृत है।</p> <p>12-लोकल एवं स्पेशल एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले दीवानी एवं विविध अपीलें।</p> <p>13-भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण।</p> <p>14-म.प्र./छ0ग0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 20 के अंतर्गत चुनाव याचिकाएं।</p> <p>15-ऐसे व्यवहार स्वरूप के प्रकरण जो इस कार्य विभाजन के आदेश में नहीं दर्शाये गये हैं।</p> <p>16-मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 163ए, 166 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत दावा प्रकरण।</p> <p>17-भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (भाग-10) के अंतर्गत संस्थापित होने वाले प्रकरण को छोड़कर (जिसमें अपील शामिल नहीं है) शेष सभी प्रकरण।</p> <p>18-सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत वाद मूल्य 10,00,000/- से अधिक प्रकरण।</p> <p>19- जिला न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
--	--	--

6	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, उत्तर बस्तर कांकेर	राजस्व जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कांकेर, चारामा एवं नरहरपुर तहसीलें।	<p>01-वाद मूल्य 5,00,001/- से 10,00,000/- तक के सांपत्तिक वाद।</p> <p>02-को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट के अंतर्गत रूपये 5,00,001/- से 10,00,000/- तक के प्रकरण।</p> <p>03-व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निष्पादन एवं विविध न्यायिक प्रकरण।</p> <p>04-नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 तथा 172 के अंतर्गत अपीलें।</p> <p>05-दीवालिया प्रकरण।</p> <p>06-विस्थापित व्यक्ति (ऋण समायोजन अधिनियम 1951) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>07-छ0ग0 सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत प्राधिकृत रूपये 500/- तक के लघु वाद पत्र।</p> <p>08-भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (भाग-10) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>09-कांकेर नगरपालिका से उत्पन्न स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>10- विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (47 of 1963) एवं विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम 2018, से संबंधित प्रकरण।</p> <p>11- कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त रायपुर छ0ग0 के पत्र क्रमांक F.No 285/13/2022-IT (Inv.V)/164, dated 23-08-2022 एवं भारत का राजपत्र, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) का अधिसूचना क्रमांक 102/2022 दिनांक 22.08.2022 एवं रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक-10843/III-6-3/2021/चेकर बिलासपुर, दिनांक-05.09.2022 के अनुसार जिला उत्तर बस्तर कांकेर के अंतर्गत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 280ए और काले धन के लिए धारा 84 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>12-जिला न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
---	---	---	---

7	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 कांकेर (रिक्त न्यायालय)	-	-
8	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 कांकेर (रिक्त न्यायालय)	(छ.ग.शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 141/03/21-ब/छ.ग./18 दिनांक 03.01.2019 के द्वारा स्वीकृत)	-
9	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 कांकेर	राजस्व जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कांकेर, नरहरपुर एवं चारामा तहसीलें।	01-वाद मूल्य एक रूपये से 5,00,000/-रूपये तक के सांपत्तिक वाद एवं उससे संबंधित निष्पादन प्रकरण एवं विविध व्यवहारवाद। 02-जिला न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा समय-समय पर अंतरित व्यवहार वादो का निराकरण करेंगे।
10	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भानुप्रतापपुर	राजस्व जिला उत्तर बस्तर कांकेर के भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ एवं दुर्गकोंदल तहसीलें।	01-वाद मूल्य एक रूपये से 10,00,000/-तक के सांपत्तिक वाद। 02-राजस्व तहसील पखांजूर एवं कोयलीबेड़ा से उत्पन्न 5,00,001/- से 10,00,000/- तक के व्यवहार-वाद, विविध-वाद एवं निष्पादन-वाद 03-को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट के अंतर्गत रूपये 1/- से 10,00,000/- तक के प्रकरण। 04-व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निष्पादन एवं विविध न्यायिक प्रकरण। 05-छ0ग0 सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत प्राधिकृत रूपये 500/- तक के लघु वाद पत्र। 06-भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 भाग-10 के अंतर्गत भानुप्रतापपुर, पखांजूर एवं अंतागढ़ तहसीलों से संबंधित प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 08-जिला न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।

11	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 पखांजूर	राजस्व जिला उत्तर बस्तर कांकेर के पखांजूर एवं उप- तहसील कोयलीबेड़ा।	01-वाद मूल्य एक रूपये से 5,00,000/-तक के सांपत्तिक वाद। 02-को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट के अंतर्गत रूपये 1/- से 5,00,000/- तक के प्रकरण। 03-व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निष्पादन एवं विविध न्यायिक प्रकरण। 04-छ0ग0 सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत प्राधिकृत रूपये 200/- तक के लघु वाद पत्र। 05-जिला न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
----	--	--	---



जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उत्तर बस्तर कांकेर

प्रतिलिपि:-

1. माननीय, रजिस्ट्रार जनरल, छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
 2. प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कांकेर।
 3. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कांकेर।
 4. अपर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भानुप्रतापपुर।
 5. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कांकेर।
 6. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भानुप्रतापपुर।
 7. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पखांजूर।
 8. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो, एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कांकेर।
 9. पुलिस अधीक्षक, उत्तर बस्तर कांकेर।
 10. शासकीय अभिभाषक/अति0 शासकीय अभिभाषक, उत्तर बस्तर कांकेर/भानुप्रतापपुर।
 11. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ कांकेर/भानुप्रतापपुर/पखांजूर।
 12. न्यायालय अधीक्षक, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांकेर।
 13. सांख्यिकी लिपिकें, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांकेर।
 14. सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

यह
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उत्तर बस्तर कांकेर



[Handwritten signature]

014

[Handwritten signature]
27/9/22

[Handwritten signature]
27/9/22


10

[Handwritten signature]
27/9/22



टीप:- उत्तर बस्तर कांकेर व्यवहार जिले में पदस्थ न्यायाधीशों के अवकाश पर अथवा अन्य प्रकार से अनुपस्थित रहने की स्थिति में आवश्यक कार्य नीचे दर्शाये अनुसार निपटाये जायेंगे।

क्र०	न्यायालय का नाम	प्राधिकृत न्यायालय का नाम
1	जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उत्तर बस्तर कांकेर	1-प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कांकेर। 2-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भानुप्रतापपुर।
2	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर	1-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कांकेर। 2-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भानुप्रतापपुर।
3	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भानुप्रतापपुर	1-प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कांकेर। 2-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कांकेर।
4	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, उत्तर बस्तर कांकेर	1-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो कांकेर। 2-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भानुप्रतापपुर। 3-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 पखांजूर।
5	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, भानुप्रतापपुर।	1-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 कांकेर। 2-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो कांकेर। 3-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो पखांजूर।
6	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, कांकेर।	1-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 कांकेर। 2-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भानुप्रतापपुर। 3-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो पखांजूर।
7	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, पखांजूर।	1-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, भानुप्रतापपुर। 2-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 कांकेर। 3-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो कांकेर।


(योगेश पारीक)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उत्तर बस्तर कांकेर छ०ग०

